

पटना उच्च न्यायालय

लेटर्स पेटेंट अपील No.676/2010

=====

1. राजेंद्र प्रसाद सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवधारी सिंह, गांव- छतानी, थाना-करघर, जिला- रोहतास
2. प्रमोद कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय दीन दयाल सिंह, गांव- पोथाही, थाना-पुनपुन, जिला- पटना
3. महेंद्र प्रसाद पुत्र स्वर्गीय राम अवतार प्रसाद ग्राम- कलादियारा, थाना-बख्तियारपुर, जिला- पटना

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, बेली रोड, पटना
3. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से, बीरचंद पटेल पथ, थाना-कोटवाली, जिला-पटना
4. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, कर्मचारी संघ अपने अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश सिंह के माध्यम से, पुत्र स्वर्गीय त्रिभुवन प्रसाद सिंह, कांग्रेस मैदान, कदमकुआं, थाना-कदमकुआं, पटना-3

..... उत्तरदातागण

=====

लेटर्स पेटेंट अपील सं. 332/2010

=====

बिहार राज्य पर्यटन विकास नी बीरचंद पटेल पथ, पी.एस.-कोटवाली, जिला और नगर- पटना

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, बिहार, पटना संयुक्त श्रम भवन, बेली रोड, पटना-1
3. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ, इसके अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, पुत्र स्वर्गीय त्रिभुवन प्रसाद सिंह, कांग्रेस नगर, कदमकुआं, पटना-1 के माध्यम से
4. राजेंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र स्वर्गीय शिवधारी सिंह गांव, छत्तानी, थाना- करगहर आउटपोस्ट सीढी, जिला रोहतास।
5. प्रमोद कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय दिनदयाळ सिंह, गांव पोथाही, थाना- पुनपुन, जिला- पटना।
6. महेंद्र प्रसाद, पुत्र- स्वर्गीय राम ओतर प्रसाद, गाँव-कलादियार, थाना-बख्तियारपुर, जिला- पटना।

..... उत्तरदातागण

=====

2001 के सी.डब्लू.जे.सी संख्या 10097 में पारित सामान्य निर्णय दिनांक 13.01.2010 के खिलाफ दायर एल. पी. ए.-दोनों पत्रों के पेटेंट अपीलों के अपीलकर्ता दोनों अपीलों को वापस लेने की मांग करते हैं-उपरोक्त दोनों पत्रों की पेटेंट अपीलें वापस लिए जाने के रूप में खारिज हो जाती हैं। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश 2014 की सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 878 के साथ-साथ 2014 की सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 7805 की योग्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

पटना उच्च न्यायालय

लेटर्स पेटेंट अपील No.676/2010

=====

1. राजेंद्र प्रसाद सिंह पुत्र स्वर्गीय शिवधारी सिंह, गांव- छतानी, थाना-करघर, जिला- रोहतास
2. प्रोमोद कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय दीन दयाल सिंह, गांव- पोथाही, थाना-पुनपुन, जिला- पटना
3. महेंद्र प्रसाद पुत्र स्वर्गीय राम अवतार प्रसाद ग्राम- कलादियारा, थाना-बख्तियारपुर, जिला- पटना

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. पीठासीन अधिकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण, बेली रोड, पटना
3. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से, बीरचंद पटेल पथ, थाना-कोटवाली, जिला-पटना
4. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, कर्मचारी संघ अपने अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश सिंह के माध्यम से, पुत्र स्वर्गीय त्रिभुवन प्रसाद सिंह, कांग्रेस मैदान, कदमकुआं, थाना-कदमकुआं, पटना-3

..... उत्तरदातागण

=====

लेटर्स पेटेंट अपील सं. 332/2010

=====

बिहार राज्य पर्यटन विकास नी बीरचंद पटेल पथ, पी.एस.-कोटवाली, जिला और नगर- पटना

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, बिहार, पटना संयुक्त श्रम भवन, बेली रोड, पटना-1
3. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ, इसके अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, पुत्र स्वर्गीय त्रिभुवन प्रसाद सिंह, कांग्रेस नगर, कदमकुआं, पटना-1 के माध्यम से
4. राजेंद्र प्रसाद सिंह, पुत्र स्वर्गीय शिवधारी सिंह गांव, छत्तानी, थाना- करगहर आउटपोस्ट सीढी, जिला रोहतास।
5. प्रमोद कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय दिनदयाळ सिंह, गांव पोथाही, थाना- पुनपुन, जिला- पटना।
6. महेंद्र प्रसाद, पुत्र- स्वर्गीय राम ओतर प्रसाद, गाँव-कलादियार, थाना-बख्तियारपुर, जिला- पटना।

..... उत्तरदातागण

=====

उपस्थिति:

(लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 676/2010)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री अरूण श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी/ओं के लिए : श्री आलोक कुमार सिन्हा

(लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 332/2010)

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री आलोक

उत्तरदाताओं के लिए कुमार सिन्हा : श्री एस सी 16

=====

उपस्थित: माननीय न्यायमूर्ति श्री हेमंत कुमार श्रीवास्तव

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

मौखिक निर्णय

(प्रति:माननीय न्यायमूर्ति श्री हेमंत कुमार श्रीवास्तव)

तारीख:21-11-2019

उपरोक्त दो एल. पी. ए. 2001 के सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 10097 में पारित सामान्य निर्णय दिनांक 13.01.2010 के खिलाफ दायर किए गए हैं। हालाँकि, दोनों लेटर्स पेटेंट अपीलों के अपीलकर्ता उपरोक्त दोनों अपीलों को वापस लेने की मांग करते हैं।

उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त दोनों लेटर्स पेटेंट अपीलों को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश 2014 की सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 878 के साथ-साथ 2014 की सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 7805 की योग्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(हेमंत कुमार श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

प्रकाश/-

खंडन (डिस्कलेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।